

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि

सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस

रूस ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह<mark>व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संध</mark>ि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT) के अपने अनुसमर्थन को रदद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT):

- CTBT की उत्पत्तिः
 - CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबिंध लगाना है, भले ही वे सैन्य अथवा शांतिपूर्ण उददेशयों के लिये हों।
 - CTBT की जड़ें शीत युद्ध के युग में निहिति हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों को प्राप्त करने में लगे थे तथा कई परमाणु परीक्षण कर रहे थे।
 - वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1996 तक विश्व स्तर पर 2,000 से <mark>अधिक परमाणु परीक्षण हुए, जिनमें से अमेरिका ने 1,032 परीक्षण और सोवियत संघ ने 715 परीक्षण किये ।</mark>
 - ॰ परमाणु परीक्षणों के पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों के विषय में चिताओं के जवाब में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परीक्षण को सीमित करने के प्रयास किये।
 - वर्ष 1963 की सीमित परमाणु परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Limited Nuclear Test-Ban Treaty- LTBT) ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी लेकिन भूमिगत परीक्षणों को अनुमति दी।
 - ॰ वर्ष 1974 की थ्रेसहोल्ड टेस्ट प्रतिबेध संधि (TTBT), 150 किलोटन से अधिक की क्षमता वाले परीक्षणों पर रोक लगाकर एक परमाणु "सीमा" स्थापित करती है, फिर भी यह सभी परमाणु परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबेध लगाने में विफल रही है।

CTBT के साथ सफलता:

- ॰ शीत युद्ध की समाप्त और **सोवयित संघ के विघटन** ने व्यापक हथियार नियंत्रण उपायों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार किया।
- CTBT पर वर्ष 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्त्ता की गई थी।
- वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने CTBT को अपनाया, जिसने पिछली संधियों द्वारा रिक्त अंतराल को समाप्त करते हुए परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
- CTBT सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिये उपलब्ध हो गया, जो विश्व में परमाणु परीक्षण को रोकने के वैश्विक प्रयास में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है।
 - इसके अनुसार, संधि के **अनुलग्नक 2 में सूचीबद्ध सभी 44 देशों द्वारा अनुसमर्थन किये** जाने के 180 दिन बाद CTBT लागू हो जाएगा, ये ऐसे राज्य हैं जनि<mark>के पास इसे</mark> अपनाते समय परमाणु या अनुसंधान रियक्टर थे।

वर्तमान स्थितिः

- ॰ इस पर 187 देशों द्वारा हस्<mark>ताक्षर किये</mark> गए हैं और 178 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालाँकि यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि इसे **44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुमोदित** नहीं किया जाता है। इनमें से आठ देशों ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है, ये हैं:
 - <mark>चीन, भारत</mark>, पाकसि्तान, उत्*तर कोरिया, इज़राइल, ईरान, म*सि्र व संयुक्त राज्**य अमेरि**का ।



परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ


भाग- I

परमाणु हथियार

- → पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो परमाणु विखंडन (परमाणु बम) या परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम) द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त जारी करते हैं।
- → केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शिक्तिशाली होता है कि वह एक पूरे शहर को नष्ट करने, संभावित रूप
 से लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की
 क्षमता रखता है।
- ♦ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा पहली और आखिरी बार इनका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था।

परमाणु **हथियार अप्रसार संधि (**NPT 1970)

- 🔸 उद्देश्य
 - े परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना
 - परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
 - परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने
- 🔸 सदस्य देश
 - सदस्यों की संख्या 191 जिसमें पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश (NWS) अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल हैं
- परमाणु हथियार संपन्न देश
 - जिन्होंने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और विस्फोट किया
- महत्त्व
 - परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये एकमात्र बाध्यकारी संधि
- भारत और परमाणु अप्रसार संधि
 - भारत (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान के साथ) सदस्य नहीं है
 - भारत एक भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति के रूप में इसका विरोध करता है
 - भारत की नीति– परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर–परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non–NWS)
- ♦ NPT समीक्षा सम्मेलन
 - संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा करता है



परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ





भाग-॥

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996)

- ㅇ उद्देश्यः
 - ्हर जगह और सभी के द्वारा किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध
- समझौताः
 - o जिनेवा में 1996 में निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के दौरान (UNGA द्वारा अपनाया गया)
- ० हस्ताक्षरकर्ताः
 - 185 देश
- संधि लाग् नहीं है:
 - परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध सभी 44 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद सींध लागू होगी
 (सींध पर बातचीत और अपनाए जाने के समय परमाणु सुविधाएँ रखने वाले राज्य)
 - 44 में से 36 देशों ने पुष्टि की है
- o पुष्टि न करने वाले 8 परिशिष्ट-2 के देश:
 - 🔾 चीन, उत्तर कोरिया, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका
 - भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये है
- o CTBT संगठनः
 - ा संधि को बढ़ावा देता है ताकि यह लागू हो सके
 - मुख्यालय- वियना में



मिसाइल प्रोद्योगिकी निरांत्रण व्यवस्था (MTCR) (1987)

O MTCR:

- एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी
- कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं
- 1987 में G7 देशों द्वारा स्थापित किया गया

उद्देश्यः

- े गैर-सदस्य देशों को 500 किग्रा. विस्फोटकों के साथ 300 किमी. या उससे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम खतरनाक मिसाइलों, अन्य हथियारों या उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध
- o MTCR श्रेणियाँ:
 - श्रेणी I- सभी रॉकेट और यूएवी सिस्टम (>500 किग्रा. विस्फोटक >300 किमी. के लिये)
 - इस प्रकार की वस्तुएँ बिना किसी शर्त के निर्यात से इनकार की सशक्त धारणा के अधीन हैं।
 - ♦ इस तरह की वस्तुओं को निर्यात से इनकार करने की बिना शर्त मजबूत धारणा के अधीन किया जाता है
 - श्रेणी II- कम संवेदनशील और दोहरे उपयोग वाली मिसाइल संबंधित घटक तथा अन्य
 पूर्ण मिसाइल प्रणालियाँ (सीमा>300 किमी.)
 - इनका निर्यात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अधीन है

सदस्यः

- 35 देश
- भारत को वर्ष 2016 में MTCR में 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था
- चीन सदस्य नहीं है

सदस्यों पर बाध्यकारीः

- ं गैर-सदस्यों को MTCR द्वारा नियंत्रित मिसाइलों और UAV प्रणालियों की आपूर्ति पर रोक
- ्र 1992 में, दायरे को व्यापक विनाश के सभी हथियारों- परमाणु, रासायिनक और जैविक तक विस्तृत कर दिया गया था।
- ० सचिवालयः
 - o कोई औपचारिक सचिवालय नहीं; फ्राँस MTCR के संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है
- भारत के लिये महत्त्वः
 - हाई-एंड मिसाइल तकनीक खरीद सकता है
 - अन्य देशों के साथ यूएवी के विकास के लिये संयुक्त कार्यक्रम शुरू कर सकता है

o MTCR और UN:

 कोई औपचारिक संबंध नहीं है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अप्रसार और निर्यात नियंत्रण प्रयासों के लिये प्रतिबद्ध है

UPSC सविलि सेवा परीकृषा, विगत वर्ष के प्रश्न

?!?!?!?!?!?!?!:

प्रश्न. किसी देश के 'नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह' का सदस्य बनने के क्या परिणाम होते हैं/होते हैं?

- 1. इसकी पहुँच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौदयोगकियों तक हो जाएगी।
- 2. यह स्वमेव "नाभिकीय आयुध अप्रसार संध (एन.पी.टी)" का सदस्य बन जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (A)

प्रश्न. दक्षणि-पश्चिमी एशिया का निम्नलिखिति में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक नहीं फैला है? (2015)

- (a) सीरिया
- (b) जॉर्डन
- (c) लेबनान
- (d) इज़राइल

उत्तर: (B)

प्रश्न. निम्नलखिति देशों पर विचार कीजिय: (2015)

- 1. चीन
- 2. फ्राँस
- 3. भारत
- 4. इज़राइल
- 5. पाकसितान

उपर्युक्त में से कौन-से परमाणु हथियार वाले राज्य हैं, जिन्हें परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के रूप में जाना जाता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3, 4 और 5
- (c) केवल 2, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (A)

[?][?][?][?]:

प्रश्न. इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रतिक्या रवैया अपनाना चाहिये? (2018)

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहियै? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिये। (2018)

प्रश्न. भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संवृद्धि और विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिये। भारत में तीव्र प्रजनक रिवेक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है? (2017)

